तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./133/2020/जोधपुर चेतन प्रकाश बनाम लक्ष्मण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 15.02.2021

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर पारित निर्णय दिनांक 16–12–2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी की खातेदार छोटीदेवी पुत्री मदाराम की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरकण संख्या 1559 दिनांक 23–05–2018 को लक्ष्मण, मनोज, सजन, प्रकाश पि. तनसुख, पदमा पुत्री तनसुख, चेतनप्रकाश पुत्र सुदेश कुमार, चन्दा पुत्री सुदेश कुमार, राजेश, नरेन्द्र पि. पृथ्वीराज, हेमा, वैशाली वुत्रियां पृथ्वीराज, प्रमिला पत्नी पृथ्वीराज के नाम तहसीलदार, जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया। इस नामान्तरकरण के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 9 ने अपर जिला कलक्टर, द्वितीय, जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 05–08–2019 खारिज कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या–1 से 9 ने अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 16–12–2019 से स्वीकार कर अपर जिला कलक्टर, द्वितीय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5–8–2019 एवं नामान्तरकरण संख्या 159

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./133/2020/जोधपुर चेतन प्रकाश बनाम लक्ष्मण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 23-5-2018 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार, जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे मृतक खातेदारी छोटी देवी द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध वसीयतनामें को यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त्व नहीं किया गया हो तो वसीयत अनुसार पुनः नामान्तरकरण सम्बन्धी कार्यवाही करें। इसी निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं अभिलेख के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने विवादित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है क्योंकि मूल खातेदार छोटीदेवी ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित नहीं किया जाना उनके द्वारा निष्पादित दो रजिस्टर्ड बख्शीशनामे दिनांक 20-04-2014 में अंकित किया गया है जबकि तथाकथित वसीयत दिनांक 14-07-2010 के आधार पर द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करने के निर्देश तहसीलदार को प्रदान किये। उनका कथन है कि मूल खातेदार द्वारा पश्चात्वर्ती रजिस्टर्ड दस्तावेजात में जब यह अंकित कर दिया गया कि उनके द्वारा विवादित आराजी बाबत् कोई वसीयत निष्पादित ही नहीं की गयी है तो पूर्ववर्ती वसीयत प्रथम दृष्टया ही फर्जी एवं कूटरचित प्रमाणित होती है। उनका कथन है कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्य से अप्रमाणित वसीयत के आधार पर यथा बयान आदि से प्रमाणित कराये बिना ही वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./133/2020/जोधपुर चेतन प्रकाश बनाम लक्ष्मण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

करने के निर्देश प्रदान कर दिये, जो तथ्यायत्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि तहसीलदार ने मृतक खातेदार की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण सभी जायज वारिसान के नाम स्वीकृत किया। इसी प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को विधिसम्मत् निर्णय से खारिज किया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी का स्वीकार किया जाकर द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण को बहाल रखा जावे। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 2003 आरआरटी I पेज 650 एवं पेज 647, 2004 आरबीजे पेज 610, 2002 आरबीजे पेज 580, 2003 आरआरटी I पेज 01, 2004 आरबीजे पेज 514, 2006 आरबीजे पेज 186 एवं 1999 आरबीजे पेज 426 उद्धरित किये।

हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां, पारित निर्णय का अवलोकन किया।

प्रस्तुत निगरानी प्रकरण में लिखी गयी आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुने जाने के उपरान्त विपक्षी पक्षकार की ओर से विभिन्न प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण को बाधित किये जाने का हर सम्भव प्रयास किया गया। निगरानी न्यायालय का श्रवंणाधिकार है, जिसमें निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./133/2020/जोधपुर चेतन प्रकाश बनाम लक्ष्मण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की वैधानिकता को देखा जाना है। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने के उद्धेश्य से बार बार आवेदन एवं अधिवक्तागण के परिवर्तन अप्रार्थी पक्ष की ओर से किये जाने का भरसक प्रयास किया गया। इसके उपरान्त भी विपक्षी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया किन्तु जानबुझकर वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया जाकर हस्तगत निगरानी प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की शेष रही बहस दिनांक 11-02-2021 को सुनी जाकर प्रकरण वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी की खातेदार छोटीदेवी पुत्री मदाराम की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरकण संख्या 1559 दिनांक 23-05-2018 को लक्ष्मण, मनोज, सजन, प्रकाश पि. तनसुख, पदमा पुत्री तनसुख, चेतनप्रकाश पुत्र सुदेश कुमार, चन्दा पुत्री सुदेश कुमार, राजेश, नरेन्द्र पि. पृथ्वीराज, हेमा, वैशाली वुत्रियां पृथ्वीराज, प्रमिला पत्नी पृथ्वीराज के नाम तहसीलदार, जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय न्यायालय को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि मृतक खातेदार की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण प्रस्तुत शपथपत्र, सरपंच द्वारा तस्दीक वंशावली, भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट एवं मजमे आम में पुछताछ के आधार पर मृतक खातेदार के जीवित वारिसान के नाम तस्दीक किया, जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण अपीलार्थीगण को होते हुए भी उनके द्वारा नामान्तरकण के समय वसीयतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके विपरीत द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने केवल मात्र वसीयतनामे के रजिस्टर्ड होने के आधार पर निगराधीन निर्णय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./133/2020/जोधपुर चेतन प्रकाश बनाम लक्ष्मण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पारित करते हुए तथाकथित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने के निर्देश तहसीलदार को प्रदान कर दिये, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि मूल खातेदार छोटीदेवी ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित नहीं किया जाना उनके द्वारा निष्पादित दो रजिस्टर्ड बख्शीशनामे दिनांक 20–04–2014 में अंकित किया गया है। दोनों रजिस्टर्ड बख्शीशनामें में वर्णित उक्त तथ्य से यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है कि मूल खातेदार द्वारा अपने जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की। प्रस्तुत प्रकरण में जब मूल खातेदार द्वारा पश्चात्वर्ती रजिस्टर्ड दस्तावेजात में यह अंकित कर दिया गया कि उनके द्वारा विवादित आराजी बाबत् कोई वसीयत निष्पादित ही नहीं की गयी है तो पूर्ववर्ती वसीयत प्रथम दृष्टया ही फर्जी एवं कूटरचित प्रमाणित होती है। इसके अतिरिक्त भी द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्य से अप्रमाणित वसीयत के आधार पर यथा बयान आदि से प्रमाणित कराये बिना ही वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृति के निर्देश तहसीलदार, जोधपुर को प्रदान कर दिये, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रस्तुत प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि खातेदार मदाराम के देहान्त उपरान्त विवादित आराजी खसरा संख्या–346 रकबा 36बीघा 06बिस्वा भूमि जरिये विरासत छोटी पुत्री मदाराम पत्नी तनसुख के नाम जरिये नामान्तरकरण खातेदारी में दर्ज हुई। तत्पश्चात् खातेदार छोटी द्वारा विवादित आराजी में से 10बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र अन्य को बैचान कर दी। इसके उपरान्त शेष रकबा 26बीघा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./133/2020/जोधपुर चेतन प्रकाश बनाम लक्ष्मण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	06बिस्वा भूमि बाबत् तथाकथित वसीयत दिनांक 14–07–2010 में सुदेश के वारिसान को छोडकर शेष छोटी देवी के वारिसान बाबत् निष्पादित किया जाना अप्रार्थी पक्ष की ओर से कथन किया। तत्पश्चात् मूल खातेदार छोटी देवी ने 03बीघा 03बिस्वा भूमि अपनी पुत्रवधु प्रमिला पत्नी पृथ्वीराज, 03बीघा 03बिस्वा भूमि सीमा पत्नी लक्ष्मण के पक्ष में दिनांक 20–10–2014 को पृथक–पृथक पंजीकृत बख्शीशनामा निष्पादित किया। मृतक खातेदार छोटी देवी द्वारा निष्पादित उक्त बख्शीशनामा के पेज संख्या–3 की अन्तिम पंक्ति एवं पेज संख्या–4 की प्रथम पंक्ति में यह अंकित किया गया कि **''बख्शीशशुद्धा कृषि भूमि आज दिन पूर्व किसी भी शख्स को बैचान इकरार अथवा बैचान नहीं की गयी है और ना ही किसी शख्स के हक में वसीयत अथवा बख्शीश की गयी है।''** उक्त बख्शीशनामा वसीयतग्रहिता पृथ्वीराज एवं लक्ष्मण द्वारा अपनी पत्नी प्रमीला एवं सीमा के नाम पृथक पृथक पंजीबद्ध करवाया गया है, जिसमें बतौर साक्ष्य प्रकाश एवं मनोज है जो वसीयतग्रहिता है, ऐसी स्थिति में उक्त अंकित अभिकथनों एवं दस्तावेजात से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि मृतक खातेदार द्वारा वर्ष 2014 से पूर्व कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गयी तथा प्रस्तुत तथाकथित वसीयत कूटरचित एवं फर्जी होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में इसी आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वसीयत की वैधता नामान्तरकरण सम्बन्धी समरी कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता। उक्त के परिप्रेक्ष्य में द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./133/2020/जोधपुर चेतन प्रकाश बनाम लक्ष्मण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–12–2019 निरस्त किया जाता है तथा अपर जिला कलक्टर, द्वितीय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–08–2019 एवं तहसीलदार, जोधपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 559 दिनांक 23–05–2018 को यथावत बहाल रखे जाते है एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने के उपरान्त राजस्व अभिलेख में हुए इन्द्राजात को विलोपित किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	